किसनाराम बनाम अमराराम
2023/149
निर्णय दिनांकः–04.07.2025

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:–84/2023 दर्ज तिथिः–21.06.2023

1. किसनाराम पुत्र चेनाराम
2. अचलाराम पुत्र लिखमाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र चेनाराम
4. कमलेश पुत्र पुरखाराम
5. गंगादेवी पत्नी भोमाराम
6. गेनाराम पुत्र चौखाराम
7. गोगीदेवी पत्नी नितिश
8. चूनाराम पुत्र खेताराम
9. चेनाराम पुत्र वीरमाराम
10. चूनीदेवी पत्नी चौखाराम
11. चौथी पत्नी खेता
12. जमना पत्नी पुरखाराम
13. डाईदेवी पत्नी किसनाराम
14. दमी पत्नी हेमाराम
15. दुर्गाराम पुत्र चौखाराम
16. नितीश पुत्र चेनाराम
17. रूपों देवी पत्नी निम्बाराम
18. भगाराम पुत्र निम्बाराम
19. रूखमण पुत्र निम्बाराम
20. डूंगरा पुत्र निम्बाराम
21. जगदीश पुत्र निम्बाराम
22. पुरखाराम पुत्र वीरमाराम
23. प्रभूराम पुत्र खेताराम
24. बालाराम पुत्र खेताराम
25. भंवरलाल पुत्र पुरखाराम
26. भीखी पत्नी ओमप्रकाश
27. भोमाराम पुत्र वीरमाराम
28. मूलाराम पुत्र खेताराम
29. मानाराम पुत्र लिखमाराम
30. मोहनलाल पुत्र चौखाराम
31. रणजीत पुत्र भोमाराम
32. रमेश पुत्र चैनाराम
33. सवाईराम पुत्र पुरखाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

34. हीरादेवी पत्नी रमेश
35. हीराराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी मंगलारार,तहसील धोरीमना
36. किशनाराम पुत्र कुम्भाराम जाति कुम्हार निवारी विरावा तहसील चितलवाना

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. अमराराम पुत्र राणा
2. किसना पुत्र लुम्बा
3. जैना पुत्र गोरखा
4. दमा पुत्र राणा
5. धारू पुत्र गोरखा
6. पांचा पुत्र लुम्बा
7. बाबु पुत्र राणा
8. बाबु पुत्र बुधाराम
9. भगवाना पुत्र आसुराम
10. भंवरा पुत्र राणा
11. भाखरा पुत्र बुधा
12. भीमा पुत्र मजना
13. मदा पुत्र उका
14. रतना पुत्र आसु
15. रूपाराम पुत्र लुम्बाराम
16. रमेश पुत्र आसुराम
17. लाखा पुत्र लुम्बाराम
18. हरचंद पुत्र बुधाराम
19. हीराराम पुत्र आसूराम
20. नरमी पत्नी ओमप्रकाश जाति भील निवासी मंगलासर तहसील धोरीमना
21. अमराराम पुत्र जेनाराम
22. केसाराम पुत्र जेनाराम
23. चूना पुत्र अणदा
24. नारणा राम पुत्र जेनाराम
25. मोटा पुत्र अणदा
26. लादुराम पुत्र जेनाराम
27. लिखमाराम पुत्र जेनाराम
28. ईसरा पुत्र सिमरथा
29. ठाकराराम पुत्र रामाराम
30. भंवराराम पुत्र रामाराम
31. भारूराम पुत्र पदमाराम
32. रूपा पुत्र भौमा
33. राजुराम पुत्र रामाराम
34. लिछाराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी मंगलासर तहसील धोरीमना
35. कुम्भाराम पुत्र सुरताराम
36. चनणा पुत्र हाजा
37. टीकमा पुत्र हाजाराम
38. डायाराम पुत्र जेठाराम
39. नाथुराम पुत्र हाजाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

किसनाराम बनाम अमराराम
2023 / 149
निर्णय दिनांकः—04.07.2025

40. पांचाराम पुत्र जेठाराम
41. पीराराम पुत्र सुरताराम
42. मेघा पुत्र हाजाराम
43. लिखमाराम पुत्र सुरताराम
44. शंकरा पुत्र हाजा
45. हेमाराम पुत्र हाजाराम जाति भील निवासी पुरावा प.हल्का अरणीयाली तहसील धोरीमना
46. ईशरदान पुत्र अम्बादान
47. कैलाशदान पुत्र पाबुदान
48. भंवरदान पुत्र पाबुदान
49. हेमदान पुत्र पाबुदान जाति चारण निवासी पुरावा,तहसील धोरीमना

.................असल अप्रार्थी

50. तहसीलदार धोरीमन्ना

..................तकमील अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री जगदीश कुमार
अप्रार्थीगणः—श्री ओमप्रकाश विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111,128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—04.07.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 175 / 16.9077 है0 वाके ग्राम मंगलासर, पटवार हल्का बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार धोरीमन्ना के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेश भू.अ. / 2023 / 72 दिनांक 18.05.2023 की पालना में हल्का पटवारी दिनांक 24.05.2023 को खसरा संख्या 175 / 16.9077 है0 वाके ग्राम मंगलासर, पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमन्ना द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करने हेतु पहूंचे लेकिन मौके पर विवाद की स्थिति में सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक नक्शे के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। असल अप्रार्थीगण संख्या 21 से 49 विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 21 से 49 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। असल अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 20 असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिशाल किया गया।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 24.05.2023 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के बिन्दुओं को मात्र दोहराते हुए प्रार्थी के आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.—*** *(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:—

> ***128. Boundary disputes. -*** *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Records Officer in the manner laid down in section 111:*

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

किसनाराम बनाम अमराराम
2023 / 149
निर्णय दिनांकः—04.07.2025

Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 24.05.2023 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करने पहुंचे लेकिन विवाद की स्थिति में पेमाईश नहीं की जा सकी। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—111,128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 175 / 16.9077 है0 वाके ग्राम मंगलासर, पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमन्ना पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमना को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 04.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

4/7/2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:47 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)